कार्यालय, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट (उ0प्र0) : 210205

<u>छात्रवृत्ति के संबंध में आवश्यक सूचना</u>

- **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (https://scholarship.up.gov.in) के तहत आवेदन के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अध्ययनरत छात्र–छात्राएं ही पात्र हैं।**
- **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/मैट्रिकोत्तर/सेकेंडरी उत्तीर्ण छात्र–छात्राएं ही बाद की कक्षाओं में अध्ययन के दौरान आवेदन के लिए पात्र हैं।**
- **ऐसे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे, जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय अथवा संकाय में अध्ययन करने लगे हैं। जैसे यदि अभ्यर्थी बीए करने के बाद बीकाम करने लगा है अथवा एक विषय से एमए करने के बाद किसी दूसरे विषय पर एमए करने लगा है।**
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राएं भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर छात्रवृत्ति आवेदन करने को प्राथमिकता प्रदान करें।
- छात्र–छात्राएं छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में केवल वही बैंक खाता दर्ज करेंगे, जो बैंक खाता उनके आधार संख्या से लिंक या आधार सीडेड हैं। कोई अन्य बैंक खाता छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- सेमेस्टर प्रणाली से आच्छादित सभी छात्र–छात्राएं पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम के अंक दोनों सेमेस्टर को जोड़ते हुए प्राप्तांक और पूर्णांक को दर्ज करेंगे।
- यदि पिछले शिक्षण सत्र में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम निम्नलिखित सारणी में दिए गए प्रतिशतांक से कम है, तो वे छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं। उनका आवेदन पत्र न तो जमा किया जाएगा और न ही अग्रसारित किया जाएगा।

छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु पिछले शिक्षण सत्र में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रतिशतांक		
वर्गवार छात्र/छात्राएं	**स्नातक (बीए/बीएससी/बीकॉम)**	**स्नातकोत्तर (एमए)**
सामान्य वर्ग	50 प्रतिशत या अधिक	50 प्रतिशत या अधिक
अन्य पिछड़ा वर्ग	50 प्रतिशत या अधिक	50 प्रतिशत या अधिक
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	40 प्रतिशत या अधिक	40 प्रतिशत या अधिक
अल्पसंख्यक वर्ग	50 प्रतिशत या अधिक	50 प्रतिशत या अधिक
केवल उपर्युक्त प्रतिशतांक प्राप्त छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पात्र हैं।		

- केवल स्नातक (बीए/बीएससी/बीकाम) और परास्नातक (एमए) प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राएं ही छात्रवृत्ति हेतु नया आवेदन (New Application) पत्र भरेंगे। महाविद्यालय द्वारा इन्हीं छात्र/छात्राओं का नया छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा और अग्रसारित किया जाएगा।
- असाधारण परिस्थिति के अलावा स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष और परास्नातक उत्तरार्द्ध के पात्र छात्र/छात्राएं अपने पुराने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का नवीनीकरण (Renewal) कराकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे। महाविद्यालय द्वारा इन्हीं छात्र/छात्राओं का नवीनीकृत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा और अग्रसारित किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले सभी छात्र/छात्राएं आवेदन के पश्चात उसकी प्रिंटेड प्रति लेकर महाविद्यालय में अधिकृत पदाधिकारी से जांच कराएंगे। जांच के उपरांत आवेदक छात्र/छात्रा अपने आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करेंगे।
- महाविद्यालय में अधिकृत समिति/पदाधिकारी से जांच नहीं कराने की स्थिति में संबंधित छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र जमा नहीं किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी।
- आवेदन पत्र की प्रिंटेड प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके महाविद्यालय में अधिकृत समिति/पदाधिकारी के पास अंतिम तिथि से पहले जमा करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कर्वी, चित्रकूट (उ0प्र0) : 210205

छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक संलग्नक और नॉन रिफंडेबल शुल्क

छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा होगा और आवेदन पत्र की द्वितीय प्रति के साथ निम्नलिखित दस्तावेज क्रमानुसार संलग्न करना आवश्यक है।

1. स्व–घोषित शपथपत्र की मूल प्रति
2. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की दो प्रतियां
3. विश्वविद्यालय में छात्र–छात्रा के पंजीकरण की छायाप्रति
4. हाईस्कूल के अंकपत्र, प्रमाण पत्र और उसके सत्यापन की छायाप्रति
5. इंटरमीडिएट के अंकपत्र, प्रमाण पत्र और उसके सत्यापन की छायाप्रति
6. पिछले शिक्षण सत्र में स्नातक / परास्नातक (जो भी लागू हो) में उत्तीर्ण अंकपत्र की छायाप्रति
7. निवास प्रमाण पत्र और उसके सत्यापन की छायाप्रति जोकि **5 वर्ष से अधिक पुराना न हो**
8. आय प्रमाण पत्र और उसके सत्यापन की छायाप्रति जोकि **3 वर्ष से अधिक पुराना न हो**
9. जाति प्रमाण पत्र और उसके सत्यापन की छायाप्रति जोकि **3 वर्ष से अधिक पुराना न हो**
10. आधार कार्ड की छायाप्रति
11. आधार सीडेड बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति
12. राशन कार्ड और उसके सत्यापन की छायाप्रति
13. महाविद्यालय में प्रवेश कंफर्मेशन और प्रवेश शुल्क की छायाप्रति

टिप्पणीः संलग्नक अपूर्ण होने की स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र महाविद्यालय में न तो जमा किया जाएगा और न ही अग्रसारित किया जाएगा, जिसके लिए छात्र / छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कक्षावार नॉन रिफंडेबल शुल्क का विवरण

कक्षाएं	नॉन रिफंडेबल शुल्क
बीए / बीएससी / बीकॉम प्रथम वर्ष	**3375 रुपए**
बीए / बीएससी / बीकॉम द्वितीय वर्ष	**3255 रुपए**
बीए / बीएससी / बीकॉम तृतीय वर्ष	**3405 रुपए**
एमए प्रथम वर्ष	**4390 रुपए**
एमए द्वितीय वर्ष	**4720 रुपए**

(डॉ. गजेन्द्र सिंह)
प्रभारी छात्रवृत्ति

प्रो. (डॉ.) विनय कुमार चौधरी
प्राचार्य

प्राचार्य
गो0 तु0 राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, कर्वी (चित्रकूट)

कार्यालय प्राचार्य, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट

दिनाँक 09.09.2024

छात्रवृत्ति समितियाँ

छात्रवृत्ति प्रभारी समितिः

1. डॉ0 गजेन्द्र सिंह – समन्वयक
2. डॉ0 गौरव पाण्डेय – उप–समन्वयक
3. डॉ0 सिद्धान्त चतुर्वेदी – सह–समन्वयक

सामान्य वर्ग हेतु समितिः

1. डॉ0 अमित कुमार सिंह – संयोजक
2. डॉ0 राकेश कुमार शर्मा – सह संयोजक
3. डॉ0 आशुतोष कुमार शुक्ला – सह संयोजक
4. डॉ0 रचित जायसवाल – सह संयोजक

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु समिति

1. डॉ0 रामनरेश यादव – संयोजक
2. डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह – सह संयोजक
3. डॉ0 हेमन्त कुमार बघेल – सह संयोजक
4. डॉ0 नीरज गुप्ता – सह संयोजक
5. डॉ0 अतुल कुमार कुशवाहा – सह संयोजक
6. डॉ0 सिद्धान्त चतुर्वेदी – सह संयोजक

अल्प संख्यक वर्ग हेतु समिति

1. डॉ0 गौरव पाण्डेय – संयोजक

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु समिति

1. डॉ0 सीमा कुमारी – संयोजक
2. डॉ0 मुकेश कुमार – सह संयोजक
3. डॉ0 वंशगोपाल – सह संयोजक

अंतिम तिथि : सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग – 16 नवम्बर, .2024
अन्य पिछड़ा वर्गः – 20 नवम्बर, 2024
अल्पसंख्यक वर्ग – 20 दिसम्बर, 2024

Singh
समन्वयक छात्रवृत्ति

प्राचार्य

प्राचार्य
गो0 तु0 राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, कर्वी (चित्रकूट)

छात्रवृत्ति के लिए स्व–घोषित शपथपत्र

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..निवासी.....................................
हूं और **गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट** का नियमित छात्र/छात्रा (Regular Student) हूं। मैं वर्तमान शिक्षण सत्र 20................. के स्नातक (बीए/बीएससी/बीकाम) प्रथम/द्वितीय/अंतिम वर्ष अथवा परास्नातक (एमए) पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध वर्ष में प्रवेशित हूं और मेरे अब तक के शैक्षणिक विवरण निम्नप्रकार हैं।

कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशतांक
हाईस्कूल				
इंटरमीडिएट				
स्नातक (पहला + दूसरा सेमेस्टर) प्रथम वर्ष				
स्नातक (तीसरा + चौथा सेमेस्टर) द्वितीय वर्ष				
स्नातक (पांचवां + छठवां सेमेस्टर) अंतिम वर्ष				
परास्नातक (पहला + दूसरा सेमेस्टर) पूर्वार्द्ध				
परास्नातक (तीसरा + चौथा सेमेस्टर) उत्तरार्द्ध				

उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है और मैं पिछले परीक्षा सत्र में अनुत्तीर्ण नहीं हूं। भविष्य में यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो संपूर्ण दायित्व मेरा ही होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
दिनांक..............................

मेरा..पुत्र/पुत्री श्री .... गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट का नियमित छात्र/छात्रा (Regular Student) है और वर्तमान शिक्षण सत्र 20....................................में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगा / करेगी। यदि 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में असफल रहता/रहती है, तो आवेदित छात्रवृत्ति के लिए अपात्र समझा जाए और उक्त शिक्षण सत्र के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति शासन को वापस/सुपुर्द करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

2. मेरा.. पुत्र/पुत्री श्री................................... गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट के माध्यम से प्रस्तुत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकृत संस्था/व्यवस्था/योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। भविष्य में यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो संपूर्ण दायित्व मेरा ही होगा।

3. यदि मेरा..पुत्र/पुत्री श्री...................................वर्तमान शिक्षण सत्र 20............... के स्नातक (बीए/बीएससी/बीकाम) प्रथम/द्वितीय/अंतिम वर्ष अथवा परास्नातक (एमए) पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध वर्ष में अनुत्तीर्ण रहता/रहती है, तो शासन के निर्देशानुसार उक्त शिक्षण सत्र के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति शासन को वापस/सुपुर्द करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभिभावक के हस्ताक्षर ....
मोबाइल नं....................

*****